भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1718

दिनांक 02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

पंचायतों द्वारा निधि उपयोगिता

†1718. श्री सैयद इम्तियाज़ जलील:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायतों ने जिला योजनाओं के अभाव में उन्हें निर्धारित निधि के उपयोग में अपनी अक्षमता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां; तो क्या सरका ने इस संबंध में राज्यों को कोई अनुदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जिला योजना तैयार करने के लिए किए गए कार्य को निगरानी हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) संविधान का अनुच्छेद 243 यघ यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं का समेकन करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन किया जाएगा। डीपीसी की संरचना और सौंपे जाने वाले कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों के चिन्हित किए गए 272 पिछड़े जिलों में पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के जिला घटक को लागू

कर रहा था। बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत डीपीसी द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी वार्षिक जिला योजना के आधार पर चिन्हित जिलों के लिए राज्य सरकारों को अबद्ध अनुदान प्रदान किए गए थे। किसी भी राज्य / पंचायत ने जिला योजनाओं की अनुपलब्धता के कारण बीआरजीएफ के तहत निधियों का उपयोग करने में पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, केंद्रीय करों की शुद्ध आय में राज्यों की हिस्सेदारी को केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियों के **32%** से **42%** तक बढ़ाया गया है। इसलिए, बीआरजीएफ कार्यक्रम को वर्ष **2015-16** से केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से हटा दिया गया है।

(ग) ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है । वर्ष **2018-19** में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जीपीडीपी बनाने के लिए जीपीडीपी दिशानिर्देश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ साझा किए गए हैं। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि पंचायती राज मंत्रालय दिशानिर्देशों के आधार पर, जीपीडीपी के एक व्यापक जिला विकास योजना में एकीकरण और समेकन के लिए संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य विशिष्ट जीपीडीपी दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय दिशानिर्देशों ने जीपीडीपी के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन करने की सलाह दी है।

बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों / परियोजनाओं की निगरानी के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने निधियों / कार्यों का लेखा-परीक्षण निर्धारित किया है।

****